न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 102/2017

1. श्री मल्ला सिंह
2. श्री श्रवणसिंह
3. श्री बादरसिंह
4. श्री मनोहरसिंह
   पुत्रगण श्री भागूसिंह
5. श्रीमति सीता पत्नि श्री धर्मासिंह
6. श्री किशनसिंह
7. श्री बालूसिंह
   पुत्रगण श्री धर्मासिंह
8. लीलादेवी
9. सीमा
10. गोपाली
    पुत्रियां श्री धर्मासिंह
    समस्त जाति रावत, निवासी ग्राम समरथपुरा, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर

.....*अपीलान्टस*

बनाम

1. श्रीमति सीतादेवी पत्नि श्री रामनिवास
2. श्रीमति पांचीदेवी पत्नि श्री उगमाराम
   समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम लेसवा, तहसील पुष्कर, हाल निवासी ग्राम फतेहपुरा, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर
3. राजस्थान सरकार

.....रेस्पोडेन्टस

अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955

उपस्थित :– 1. श्री अजीतसिंह, वकील अपीलान्टस की ओर से।
2. श्री पुष्पेन्द्रसिंह नरूका, वकील रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से।
3. श्री हेमराज राठौड़, सरकारी वकील।

–: आदेश :–

दिनांक–28.01.2019

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि तहसील पीसांगन के राजस्व ग्राम रामपुरा डाबला स्थित कृषि भूमि आराजी खसरा संख्या 30/1684 रकबा 0.35, 38 रकबा 0.80, 39 रकबा 0.92, 40 रकबा 0.97, 41 रकबा 0.68, 42 रकबा 0.85, 71/1833 रकबा 1.05, 175/1834 रकबा 4.52 हैक्टर कुल रकबा

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

10.14 हैक्टर किस्म बारानी 2 के सहखातेदार श्री मल्ला सिंह, श्री श्रवणसिंह, श्री बादरसिंह व श्री मनोहरसिंह पुत्रगण श्री भागूसिंह, श्रीमति सीता पत्नि श्री धर्मासिंह, श्री किशनसिंह व श्री बालूसिंह पुत्रगण श्री धर्मासिंह, लीलादेवी, सीमा व गोपाली, समस्त जाति रावत, निवासी ग्राम समरथपुरा, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर एवं श्रीमति सीतादेवी पत्नि श्री रामनिवास व श्रीमति पांचीदेवी पत्नि श्री उगमाराम, समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम लेसवा, तहसील पुष्कर, हाल निवासी ग्राम फतेहपुरा, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर द्वारा तहसीलदार पीसांगन के समक्ष आपसी सहमति से अपनी खातेदारी कृषि भूमि का बंटवारा करने बाबत एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया। तहसीलदार पीसांगन द्वारा बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 14.09.2016 को निर्णय पारित किया। उक्त निर्णय अनुसार श्री मल्ला सिंह, श्री श्रवणसिंह, श्री बादरसिंह व श्री मनोहरसिंह पुत्रगण श्री भागूसिंह, श्रीमति सीता पत्नि श्री धर्मासिंह, श्री किशनसिंह व श्री बालूसिंह पुत्रगण श्री धर्मासिंह, लीलादेवी, सीमा व गोपाली, समस्त जाति रावत के हिस्से में खसरा नम्बर 30/1664 रकबा 0.35, 41 रकबा 0.68, 42 रकबा 0.85, 71/1833 रकबा 0.55 व 175/1834 रकबा 2.40 हैक्टर एवं श्रीमति सीतादेवी पत्नि श्री रामनिवास व श्रीमति पांचीदेवी पत्नि श्री उगमाराम, समस्त जाति जाट के हिस्से में खसरा नंबर 38 रकबा 0.80, 39 रकबा 0.92, 40 रकबा 0.97, 71/1833/1 रकबा 0.50, 175/1834/1 रकबा 2.12 हैक्टर बाबत बंटवारा स्वीकार किया गया। अपीलांटस द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 14.09.2016 से अप्रसन्न होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

मियाद के बिंदु पर वकील अप्रार्थीगण द्वारा एतराज दर्ज नहीं करवाये जाने पर मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन कर अपील गुणावगुण पर निर्णित करने का निश्चय किया गया। हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। वकील अपीलांटस ने अपील में उठाये गए बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि वादग्रस्त आराजियात अपीलान्ट्स व रेस्पोन्डेट्स की संयुक्त खातेदारी की आराजियात है जिस पर पक्षकार वर्तमान में भी संयुक्त रूप से काबिज काश्त चले आ रहे हैं। अपीलान्ट्स ने वादग्रस्त आराजियात की किस्म, मूल्य एवं लगान के अनुसार अधिकार अभिलेख में दर्ज हिस्सों के अनुपात में बंटवारा करने हेतु ग्राम रामपुरा डाबला में आयोजित राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। अपीलान्ट्स द्वारा वादग्रस्त आराजियात में से खसरा संख्या 40 रकबा 0.97 में चाह मुर्तिब किया गया जो कि वर्तमान में भी मौके पर स्थित है। उक्त चाह का राजस्व रेकार्ड में अभी अंकन नहीं हुआ है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवारा आदेश दिनांक 14.09.2016 के द्वारा रेस्पोन्डेन्ट के हक में कर दिया गया है जबकि उक्त आराजियात का बहिस्सा बराबर मय चाह हिस्सा रेकार्ड में दर्ज हिस्सों के अनुपात में बंटवारा आदेश पारित किया जाना चाहिये था। इसके साथ ही खसरा संख्या 38 व 39 का भी सम्पूर्ण रकबा रेस्पोन्डेन्ट्स के हक में रख दिया है। उक्त बंटवारे से खसरा संख्या 38, 39 व 40 में नीहित अपीलान्ट्स के स्वत्व 10/21 हिस्से अनुसार समाप्त करते हुए चाह एवं विशिष्ठ किस्म की आराजियात का सम्पूर्ण रकबा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 के हक में कर दिया है। उन्होने आगे कथन किया कि राजस्व एजेन्सी द्वारा दो प्रकार के

अपर कलक्टर

Scanned by CamScanner

नक्शे बनाये गये थे जिसमें एक नक्शे में खसरा संख्या 40 का बहिस्सा बराबर मय चाह बंटवारा अंकित किया गया जबकि दूसरे नक्शे में अपीलान्ट्स के अशिक्षित व राजस्व रेकॉर्ड की जानकारी नहीं होने का फायदा उठाते हुए खसरा संख्या 40 का सम्पूर्ण हिस्सा रेस्पोन्डेन्ट्स के हिस्से में रख दिया एवं पक्षकारान के दोनों नक्शों में अंगूठे निशानी करवाते हुए त्रुटिपूर्ण नक्शा अपीलाधीन आदेश के संलग्न कर दिया। उन्होने कथन किया कि विवादित भूमि अविभाजित है तथा पक्षकारान विवादित भूमि पर भौतिक एवं संयुक्त रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है किन्तु राजस्व एजेन्सी द्वारा मौके पर जाकर बंटवारा नहीं किया गया एवं न ही पक्षकारान को काबिज करवाया गया। उन्होने आगे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त त्रुटिपूर्ण बंटवारा आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 734 दिनांक 19.10.2016 को तस्दीक कर दिया गया है। अन्त में उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व राजस्थान टीनेंसी (बोर्ड औफ रेवेन्यू) रूल्स के नियम 16 से 21 की पालना भी नहीं की है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपीय आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में वकील रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है। पक्षकारान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आपसी सहमति के आधार पर भूमि विभाजन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही पक्षकारान द्वारा वादग्रस्त आराजियात के मौके पर भौतिक रूप से कब्जे अनुसार ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बंटवारा प्रस्ताव एवं 500/– रूपये के स्टाम्प पेपर पर सहमति पत्र प्रस्तुत किया है जिस पर पक्षकारान के सहमति स्वरूप अंगूठा निशानी अंकित है तथा पक्षकारान के अंगूठा निशानी युक्त आधार कार्ड व राशन कार्ड भी पत्रावली पर उपलब्ध है। इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपीय आदेश पारित किया है। उन्होने कथन किया कि Consent के विरूद्ध अपील पोषणीय नहीं है। अतः अपील अपीलांट्स निरस्त की जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दोनों पक्षों द्वारा आपसी सहमति के आधार पर नियमानुसार भूमि विभाजन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा गया है। पक्षकारान द्वारा बंटवारा प्रस्ताव व सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है जिस पर उनके अंगूठा निशानी अंकित है। हम वकील रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 के इन कथनों से सहमत है कि Consent के विरूद्ध अपील नहीं की जा सकती।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्ट पोषणीय नहीं होने से निरस्त की जाती है।

आदेश आज दिनांक 28.01.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(एम0एल0 नेहरा)
अपर कलेक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner